वायु सेवा करार

जिम्बाब्वे गणराज्य सरकार

तथा

भारत गणराज्य सरकार

के बीच

भारत गणराज्य सरकार और जिम्बाब्वे गणराज्य सरकार (इसके बाद इन्हें "पक्षकार" कहा जाएगा);

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन सम्मेलन के पक्षकार होने के नाते, जिस पर दिनांक 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर हेतु कार्यवाही शुरू की गई थी;

अपने-अपने क्षेत्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाओं को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए;

एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए; और

अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं में उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की इच्छा रखते हुए और विमानों की सुरक्षा के विरुद्ध ऐसे कृत्यों या खतरों के बारे में अपनी गंभीर चिंता को दोहराते हुए, जो व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, वायु सेवाओं के संचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं और नागर विमानन की सुरक्षा में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1
परिभाषाएँ

इस करार के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित पदों का अर्थ होगा:

(1) "वैमानिकी प्राधिकारी" से अभिप्रेत है प्रत्येक पक्षकार के लिए वह प्राधिकारी या प्राधिकारी-गण जो एक पक्षकार द्वारा समय-समय पर दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में सूचित किए जाएँ;

(2) "करार" से अभिप्रेत है यह करार, इसका अनुबंध तथा इसमें किए गए कोई भी संशोधन;

(3) "कन्वेंशन" से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर कन्वेंशन, जिसे 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर हेतु खोला गया था, तथा इसमें ऐसा कोई भी संशोधन सम्मिलित है जो कन्वेंशन के अनुच्छेद 94(क) के अध्यधीन प्रवृत्त हुआ हो और दोनों पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थित किया गया हो, तथा कन्वेंशन के

अनुच्छेद 90 के अध्यधीन अंगीकृत कोई भी अनुबंध अथवा उसमें किया गया कोई भी संशोधन, जहाँ तक ऐसे अनुबंध या संशोधन किसी भी दिए गए समय पर दोनों पक्षकारों के लिए प्रभावी हों;

(4) "वायु सेवा", "अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा", "एयरलाइन" तथा "गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु ठहराव" का वही अर्थ होगा जो कन्वेंशन के अनुच्छेद 96 में उन्हें दिया गया है;

(5) "अभिहित एयरलाइन" से अभिप्रेत है ऐसी एयरलाइन जो इस करार के अनुच्छेद 3 (एयरलाइनों का अभिहितीकरण एवं प्राधिकरण) के अनुसार अभिहित तथा प्राधिकृत की गई हो;

(6) "टैरिफ" से अभिप्रेत है वायु सेवा में एयरलाइन(नों) द्वारा, उनके एजेंटों सहित, यात्रियों (तथा उनके सामान) और/अथवा कार्गो (डाक को छोड़कर) के वहन के लिए प्रभारित कोई भी किराया, दर अथवा प्रभार, तथा ऐसे किराए, दर अथवा प्रभार की उपलब्धता को शासित करने वाली शर्तें;

(7) "राज्यक्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में उसे दिया गया है; तथा

(8) "उपयोगकर्ता प्रभार" से अभिप्रेत है विमानपत्तन, वायु संचालन अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं या सेवाओं के प्रावधान के लिए एयरलाइन(नों) पर अधिरोपित प्रभार, जिसमें विमान, उनके चालक दल, यात्रियों, सामान तथा कार्गो से संबंधित सेवाएँ एवं सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद 2
अधिकारों का प्रदान

1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, इस करार के अनुबंध के समुचित खंड अथवा भाग में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन हेतु, इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है। ऐसी सेवाएँ तथा मार्ग इसके पश्चात् क्रमशः "सहमत सेवाएँ" तथा "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहलाएँगे।

2. इस करार के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक पक्षकार द्वारा अभिहित एयरलाइन(नों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

   (क) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर से बिना उतरे उड़ान भरना;

   (ख) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु ठहराव करना; तथा

   (ग) इस करार के अनुबंध में उस मार्ग के लिए विनिर्दिष्ट स्थानों पर सहमत सेवा का प्रचालन करते समय, प्रत्येक पक्षकार द्वारा अभिहित एयरलाइन(नों) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में, यात्रियों तथा डाक सहित कार्गो के अंतर्राष्ट्रीय यातायात को, पृथक् रूप से अथवा संयोजन में, चढ़ाने एवं उतारने का अधिकार भी प्राप्त होगा।

3. प्रत्येक पक्षकार की ऐसी एयरलाइन(नें), जो इस करार के अनुच्छेद 3 के अध्यधीन अभिहित नहीं की गई हैं, को भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) की कोई भी बात एक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) को यह विशेषाधिकार प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी कि वह दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में, उस दूसरे

पक्षकार के राज्यक्षेत्र के किसी अन्य स्थान के लिए गंतव्य यात्रियों तथा डाक सहित कार्गो को विमान पर चढ़ा सके।

5. यदि विशेष एवं असामान्य परिस्थितियों के कारण एक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन अपने सामान्य मार्ग पर सेवा का प्रचालन करने में असमर्थ हो, तो दूसरा पक्षकार पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से विनिश्चित किए गए अनुसार मार्गों की समुचित अस्थायी पुनर्व्यवस्था के माध्यम से ऐसी सेवा के निरंतर प्रचालन को सुकर बनाने हेतु अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

6. एक पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों को दूसरे पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वायुमार्गों, विमानपत्तनों तथा अन्य सुविधाओं का गैर-विभेदकारी आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 3
एयरलाइनों का अभिहितीकरण एवं प्राधिकरण

1. प्रत्येक पक्षकार को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के प्रयोजन हेतु एक या अधिक एयरलाइनों को अभिहित करने तथा ऐसे अभिहितीकरण को वापस लेने या परिवर्तित करने का अधिकार होगा। ऐसे अभिहितीकरण लिखित रूप में किए जाएँगे तथा राजनयिक माध्यमों से दूसरे पक्षकार को प्रेषित किए जाएँगे और उनमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि एयरलाइन अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रकार की वायु सेवाओं के संचालन हेतु प्राधिकृत है अथवा नहीं।

2. किसी भी पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) से ऐसा अभिहितीकरण तथा आवेदन, इस प्रयोजन हेतु विहित प्ररूप एवं रीति में, प्राप्त होने पर, दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी न्यूनतम प्रक्रियात्मक विलंब के साथ समुचित प्रचालन प्राधिकरण प्रदान करेंगे, बशर्ते कि:

   (क) उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को अभिहित करने वाले पक्षकार अथवा उसके नागरिकों में निहित हो;

   (ख) अभिहित एयरलाइन आवेदन पर विचार करने वाले पक्षकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं के प्रचालन पर सामान्यतः लागू विधियों एवं विनियमों के अध्यधीन विहित शर्तों को पूरा करने के लिए अर्हित हो; तथा

   (ग) एयरलाइन को अभिहित करने वाला पक्षकार अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) तथा अनुच्छेद 10 (विमानन सुरक्षा) में उपबंधित मानकों को बनाए रख रहा हो तथा उनका प्रशासन कर रहा हो।

अनुच्छेद 4
प्रचालन प्राधिकरण का प्रतिसंहरण अथवा निलंबन

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा अभिहित एयरलाइन को प्रदत्त प्रचालन प्राधिकरण का प्रतिसंहरण या निलंबन कर सकता है अथवा ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकता है जिन्हें वह किसी भी ऐसे मामले में आवश्यक समझे जहाँ:

(क) उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण दूसरे पक्षकार अथवा उसके नागरिकों में निहित न हो;

(ख) उस एयरलाइन ने इस करार के अनुच्छेद 6 (विधियों का अनुप्रयोग) में निर्दिष्ट विधियों एवं विनियमों का अनुपालन करने में असफलता की हो; अथवा

(ग) दूसरा पक्षकार अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) में उपबंधित मानकों को बनाए न रख रहा हो तथा उनका प्रशासन न कर रहा हो।

2. जब तक कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के खंड (ख) तथा (ग) के साथ आगे और अननुपालन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक न हो, इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का प्रयोग दूसरे पक्षकार के साथ परामर्श के पश्चात् ही किया जाएगा।

3. यह अनुच्छेद किसी भी पक्षकार के उन अधिकारों को सीमित नहीं करता जिनके अध्यधीन वह अनुच्छेद 10 (विमानन सुरक्षा) के उपबंधों के अनुसार दूसरे पक्षकार की किसी एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकरण को रोक सकता है, प्रतिसंहृत कर सकता है, सीमित कर सकता है अथवा उस पर शर्तें अधिरोपित कर सकता है।

अनुच्छेद 5
सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षकारों की अभिहित एयरलाइनों को अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन हेतु उचित एवं समान अवसर प्राप्त होगा।

2. प्रत्येक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता तथा प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति पर दोनों पक्षकारों के बीच सहमति होगी।

3. प्रत्येक पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता तथा प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई भी वृद्धि दोनों पक्षकारों के बीच सहमति के अध्यधीन होगी। ऐसी सहमति या समाधान होने तक, पहले से प्रवृत्त क्षमता एवं आवृत्ति संबंधी हकदारियाँ प्रभावी रहेंगी।

4. पूर्वगामी के होते हुए भी, प्रत्येक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नें) एक-दूसरे के राज्यक्षेत्र के बीच किसी भी प्रकार के विमान से किसी भी संख्या में पूर्ण-कार्गो सेवाएँ, पूर्ण तीसरी, चौथी तथा पाँचवीं स्वतंत्रता के यातायात अधिकारों के साथ, इस करार के अनुबंध में संलग्न मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर ध्यान दिए बिना, प्रचालित करने की हकदार होंगी। ऐसी पूर्ण-कार्गो सेवाएँ किसी भी अन्य एयरलाइन(नों) के साथ, जिसमें तीसरे देशों की एयरलाइनें सम्मिलित हैं, कोड-शेयरिंग, ब्लॉक्ड-स्पेस आदि जैसी सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अध्यधीन भी प्रचालित की जा सकती हैं।

अनुच्छेद 6
विधियों का अनुप्रयोग

1. एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते हुए अथवा उससे प्रस्थान करते समय, विमान के प्रचालन एवं संचालन से संबंधित उसकी विधियों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों द्वारा किया जाएगा।

2. एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते हुए अथवा उससे प्रस्थान करते समय, उसके राज्यक्षेत्र में विमान पर सवार यात्रियों, सामान, चालक दल अथवा कार्गो के प्रवेश या प्रस्थान से संबंधित उसकी विधियों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं का (जिनमें प्रवेश, निकासी, विमानन सुरक्षा, आव्रजन, पासपोर्ट, सीमाशुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं संगरोध से संबंधित विनियम अथवा डाक के मामले में डाक विनियम सम्मिलित हैं) अनुपालन दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, चालक दल अथवा कार्गो के प्रेषकों द्वारा या उनकी ओर से किया जाएगा।

3. कोई भी पक्षकार इस अनुच्छेद में उपबंधित विधियों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग में समान अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं में लगी दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइन की तुलना में अपनी स्वयं की अथवा किसी अन्य एयरलाइन को अधिमान नहीं देगा।

4. किसी भी पक्षकार के राज्यक्षेत्र से होकर सीधे पारगमन में जाने वाले तथा इस प्रयोजन हेतु आरक्षित विमानपत्तन के क्षेत्रों को न छोड़ने वाले यात्री, सामान तथा कार्गो सरलीकृत नियंत्रण से अधिक किसी नियंत्रण के अध्यधीन नहीं होंगे, सिवाय हिंसा, वायु दस्युता, स्वापक नियंत्रण आदि के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के संबंध में।

अनुच्छेद 7
उपयोगकर्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्षकार के सक्षम प्रभारक प्राधिकारियों द्वारा दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) पर अधिरोपित किए जा सकने वाले उपयोगकर्ता प्रभार न्यायसंगत, युक्तियुक्त, गैर-विभेदकारी तथा उपयोगकर्ताओं की सभी श्रेणियों के बीच साम्यापूर्ण रूप से आबंटित होंगे। ऐसे उपयोगकर्ता प्रभार दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) पर ऐसी शर्तों पर निर्धारित किए जाएँगे जो उन शर्तों से कम अनुकूल न हों जो प्रभारों के निर्धारण के समय किसी अन्य एयरलाइन को उपलब्ध हों।

2. दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) पर अधिरोपित उपयोगकर्ता प्रभार सक्षम प्रभारक प्राधिकारियों द्वारा समुचित विमानपत्तन, पर्यावरणीय, वायु संचालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं एवं सेवाओं को विमानपत्तन पर अथवा विमानपत्तन प्रणाली के भीतर उपलब्ध कराने की पूर्ण लागत को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, किंतु उससे अधिक नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण लागत में मूल्यह्रास के पश्चात् आस्तियों पर युक्तियुक्त प्रतिफल सम्मिलित हो सकता है। जिन सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं, वे दक्ष एवं मितव्ययी आधार पर उपलब्ध कराई जाएँगी।

3. प्रत्येक पक्षकार अपने राज्यक्षेत्र में सक्षम प्रभारक प्राधिकारियों तथा सेवाओं एवं सुविधाओं का उपयोग करने वाली अभिहित एयरलाइन(नों) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभारक प्राधिकारियों तथा एयरलाइनों को ऐसी सूचना के आदान-प्रदान हेतु प्रोत्साहित करेगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) तथा (2) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार प्रभारों की युक्तियुक्तता की सटीक एवं पारदर्शी समीक्षा को संभव बनाने हेतु आवश्यक हो। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभारक प्राधिकारियों को प्रोत्साहित

करेगा कि वे उपयोगकर्ता प्रभारों में परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव की युक्तियुक्त सूचना उपयोगकर्ताओं को दें, ताकि परिवर्तन कार्यान्वित होने से पूर्व उपयोगकर्ता अपने विचार व्यक्त कर सकें।

4. किसी भी पक्षकार को अनुच्छेद 20 (विवादों का निपटारा) के अनुसरण में विवाद समाधान प्रक्रियाओं में इस अनुच्छेद के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा, यदि:

   (i) उसने दूसरे पक्षकार द्वारा की गई शिकायत के विषय वाले प्रभार अथवा प्रथा की समीक्षा युक्तियुक्त समय के भीतर कर ली हो; तथा

   (ii) ऐसी समीक्षा के पश्चात्, उसने इस अनुच्छेद के साथ असंगत किसी भी प्रभार अथवा प्रथा के निवारण हेतु अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाए हों।

अनुच्छेद 8

सीमाशुल्क एवं प्रभार

1. प्रत्येक पक्षकार, पारस्परिकता के सिद्धांत पर, दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) को अपनी राष्ट्रीय विधि के अध्यधीन अधिकतम संभव सीमा तक विमान, ईंधन, स्नेहक तेल, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, इंजनों सहित कल-पुर्जों, नियमित विमान उपकरण, विमान भंडार (जिनमें खाद्य पदार्थ, पेय एवं मदिरा, तंबाकू तथा अन्य उत्पाद सम्मिलित हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, जो विक्रय हेतु अभिप्रेत हों अथवा केवल विमान के प्रचालन या सर्विसिंग के संबंध में उपयोग किए जाने हों) तथा अन्य वस्तुओं जैसे मुद्रित टिकट स्टॉक, एयर वे-बिल, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर कंपनी का प्रतीक चिह्न मुद्रित हो, तथा अभिहित एयरलाइन(नों) द्वारा निःशुल्क वितरित की जाने वाली सामान्य एवं प्रचलित प्रचार सामग्री पर सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, निरीक्षण फीस तथा अन्य राष्ट्रीय शुल्कों एवं प्रभारों से छूट देगा।

2. इस अनुच्छेद के अध्यधीन छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी यदि पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट वस्तुएँ –

   (क) एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) द्वारा अथवा उनकी ओर से लाई गई हों;

   (ख) एक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) के विमान पर दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में आगमन पर अथवा प्रस्थान करते समय विमान में ही रखी गई हों; अथवा

   (ग) एक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) के विमान पर दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में सहमत सेवाओं के प्रचालन में उपयोग हेतु चढ़ाई गई हों।

3. इस अनुच्छेद के अध्यधीन छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होगी कि ऐसी वस्तुएँ छूट प्रदान करने वाले पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर पूर्णतः उपयोग या उपभोग की जाती हैं अथवा नहीं, बशर्ते कि ऐसी वस्तुओं का स्वामित्व उक्त पक्षकार के राज्यक्षेत्र में अंतरित न किया जाए।

4. नियमित वायुवाहित उपकरण, साथ ही सामग्री एवं आपूर्तियाँ जो सामान्यतः किसी भी पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) के विमान पर रखी जाती हैं, दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में केवल उस पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारी जा सकेंगी। ऐसी दशा में, उन्हें उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में

तब तक रखा जा सकेगा जब तक कि उनका पुनर्निर्यात न हो जाए अथवा सीमाशुल्क विनियमों के अनुसार उनका अन्यथा व्ययन न कर दिया जाए।

अनुच्छेद 9

सुरक्षा (सेफ्टी)

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा अभिहित एयरलाइन के संबंध में वैमानिकी सुविधाओं, विमान चालक दल, विमान तथा अभिहित एयरलाइन(नों) के प्रचालन से संबंधित बनाए गए सुरक्षा मानकों के संबंध में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श अनुरोध के 30 दिनों के भीतर अथवा पक्षकारों के बीच सहमत किसी दीर्घतर अवधि के भीतर होंगे।

2. यदि ऐसे परामर्शों के पश्चात् एक पक्षकार यह पाता है कि पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों में ऐसे सुरक्षा मानक, जो उस समय कन्वेंशन के अनुसार स्थापित मानकों के अनुरूप हों, दूसरे पक्षकार द्वारा अभिहित एयरलाइन(नों) के संबंध में प्रभावी रूप से बनाए एवं प्रशासित नहीं किए जा रहे हैं, तो दूसरे पक्षकार को ऐसे निष्कर्षों तथा इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने के लिए आवश्यक समझे गए कदमों की सूचना दी जाएगी, और दूसरा पक्षकार समुचित सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

3. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा अभिहित एयरलाइन(नों) के प्रचालन प्राधिकरण को निलंबित या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि दूसरा पक्षकार 30 दिनों के भीतर समुचित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता।

4. यह सहमति हुई है कि एक पक्षकार की एयरलाइन द्वारा दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र को या उससे प्रचालित किसी भी विमान की, जब वह दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर हो, दूसरे पक्षकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विमान के भीतर तथा उसके आसपास जाँच की जा सकेगी, ताकि विमान के तथा उसके चालक दल के दस्तावेजों की वैधता एवं विमान और उसके उपकरण की प्रत्यक्ष दशा दोनों की जाँच की जा सके (इस अनुच्छेद में इसे "रैंप निरीक्षण" कहा गया है), बशर्ते कि इससे अनुचित विलंब न हो।

5. यदि ऐसे किसी रैंप निरीक्षण अथवा रैंप निरीक्षणों की शृंखला से यह उत्पन्न होता है कि:

    – किसी विमान अथवा विमान के प्रचालन के उस समय कन्वेंशन के अनुसरण में स्थापित न्यूनतम मानकों का अनुपालन न करने के संबंध में गंभीर चिंताएँ हैं; अथवा

    – उस समय कन्वेंशन के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुरक्षण एवं प्रशासन के अभाव के संबंध में गंभीर चिंताएँ हैं;

तो निरीक्षण करने वाला पक्षकार, कन्वेंशन के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनों हेतु, यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि उस विमान के संबंध में अथवा उस विमान के चालक दल के संबंध में जारी किए गए या वैध किए गए प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्तियाँ जिन अपेक्षाओं के अध्यधीन जारी या वैध की गई थीं, अथवा जिन अपेक्षाओं के अध्यधीन वह विमान प्रचालित किया जा रहा है, वे कन्वेंशन के अनुसरण में स्थापित न्यूनतम मानकों के समतुल्य अथवा उनसे उच्चतर नहीं हैं।

6. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अनुसार एक पक्षकार की एयरलाइन के किसी विमान का रैंप निरीक्षण करने के प्रयोजन हेतु पहुँच, उस एयरलाइन के प्रतिनिधि द्वारा अस्वीकार किए जाने की दशा में, दूसरा पक्षकार यह अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र होगा कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (5) में निर्दिष्ट प्रकार की गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं तथा उस पैराग्राफ में निर्दिष्ट निष्कर्ष निकाल सकेगा।

7. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकरण को तत्काल निलंबित या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि प्रथम पक्षकार यह निष्कर्ष निकालता है, चाहे किसी रैंप निरीक्षण, रैंप निरीक्षणों की श्रृंखला, रैंप निरीक्षण हेतु पहुँच से इनकार, परामर्श अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप, कि एयरलाइन प्रचालन की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

8. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) अथवा (7) के अनुसार एक पक्षकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई उस कार्रवाई को करने का आधार समाप्त हो जाने पर बंद कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 10

विमानन सुरक्षा (एविएशन सिक्योरिटी)

1. अंतर्राष्ट्रीय विधि के अध्यधीन अपने अधिकारों एवं बाध्यताओं के अनुसार, दोनों पक्षकार पुनः पुष्टि करते हैं कि विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा करने की एक-दूसरे के प्रति उनकी बाध्यता इस करार का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अध्यधीन अपने अधिकारों एवं बाध्यताओं की व्यापकता को सीमित किए बिना, पक्षकार विशेष रूप से विमान पर किए गए अपराधों तथा कतिपय अन्य कृत्यों पर कन्वेंशन, जो 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में किया गया, विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण के दमन हेतु कन्वेंशन, जो 16 दिसंबर, 1970 को हेग में किया गया, नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कृत्यों के दमन हेतु कन्वेंशन, जो 23 सितंबर, 1971 को मॉन्ट्रियल में किया गया तथा इसका प्रोटोकॉल, जो 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में किया गया, तथा विमानन सुरक्षा पर ऐसे किसी अन्य कन्वेंशन, जिसके दोनों पक्षकार सदस्य बनें, के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

2. अनुरोध किए जाने पर, दोनों पक्षकार नागर विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण के कृत्यों तथा ऐसे विमान, उनके यात्रियों एवं चालक दल, विमानपत्तनों तथा वायु संचालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य विधिविरुद्ध कृत्यों को रोकने हेतु एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, तथा नागर वायु संचालन की सुरक्षा के लिए किसी अन्य संकट का समाधान करेंगे।

3. दोनों पक्षकार, अपने पारस्परिक संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित तथा कन्वेंशन के अनुबंधों के रूप में अभिहित सभी विमानन सुरक्षा मानकों एवं समुचित अनुशंसित प्रथाओं के अनुरूप कार्य करेंगे; वे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके रजिस्टर के विमानों के प्रचालक, ऐसे विमानों के प्रचालक जिनका मुख्य व्यवसाय स्थल अथवा स्थायी निवास उनके राज्यक्षेत्र में है, तथा उनके राज्यक्षेत्र में विमानपत्तनों के प्रचालक ऐसे विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश तथा उससे प्रस्थान हेतु उस दूसरे पक्षकार द्वारा अपेक्षित सुरक्षा उपबंधों का पालन करने तथा विमान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय करने एवं यात्रियों, चालक दल तथा उनके सामान एवं हस्तगत वस्तुओं, साथ ही कार्गो एवं विमान भंडारों का, विमान पर चढ़ने या लादने से पूर्व तथा उसके दौरान निरीक्षण करने पर सहमत होता है। प्रत्येक पक्षकार किसी विशेष संकट का

सामना करने हेतु विशेष सुरक्षा उपायों के लिए दूसरे पक्षकार के किसी भी अनुरोध पर सकारात्मक विचार भी करेगा।

5. जब विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण अथवा यात्रियों, चालक दल, विमान, विमानपत्तनों या वायु संचालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य विधिविरुद्ध कृत्यों की कोई घटना या घटना का संकट उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्षकार संचार को सुकर बनाकर तथा ऐसी घटना या संकट को शीघ्रता एवं सुरक्षित रूप से समाप्त करने के लिए अभिप्रेत अन्य समुचित उपायों द्वारा एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब किसी पक्षकार के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि दूसरे पक्षकार ने इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा उपबंधों से विचलन किया है, तो उस पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ तत्काल परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध की तिथि से 15 दिनों के भीतर संतोषजनक सहमति पर पहुँचने में असफलता उस पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) के प्रचालन प्राधिकरण को रोकने, प्रतिसंहृत करने, सीमित करने अथवा उस पर शर्तें अधिरोपित करने के आधार गठित करेगी। किसी आपात स्थिति द्वारा अपेक्षित होने पर, कोई भी पक्षकार 15 दिनों की समाप्ति से पूर्व अंतरिम कार्रवाई कर सकता है।

7. पैराग्राफ (6) के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई दूसरे पक्षकार द्वारा इस अनुच्छेद के उपबंधों का अनुपालन कर लेने पर बंद कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 11
वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(नों) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में वायु सेवाओं तथा वायु सेवाओं के प्रावधान हेतु अपेक्षित अन्य आनुषंगिक उत्पादों एवं सुविधाओं के संवर्धन एवं विक्रय के लिए कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(नें) प्रवेश, निवास तथा नियोजन से संबंधित दूसरे पक्षकार की विधियों एवं विनियमों के अनुसार, वायु सेवाओं तथा अन्य आनुषंगिक उत्पादों एवं सुविधाओं के प्रावधान हेतु अपेक्षित प्रबंधकीय, विक्रय, तकनीकी, प्रचालनात्मक तथा अन्य विशेषज्ञ कर्मचारियों को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में लाने तथा वहाँ बनाए रखने की हकदार होंगी। ऐसी कर्मचारी आवश्यकताएँ, एयरलाइन के विकल्प पर, किसी भी राष्ट्रीयता के उसके अपने कार्मिकों द्वारा अथवा दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रचालनरत तथा उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएँ करने हेतु प्राधिकृत किसी अन्य एयरलाइन, संगठन या कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके पूरी की जा सकती हैं।

3. प्रत्येक पक्षकार की कोई भी एयरलाइन दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में वायु सेवाओं तथा उसके आनुषंगिक उत्पादों, सेवाओं एवं सुविधाओं के विक्रय में प्रत्यक्ष रूप से तथा एयरलाइन के विवेकानुसार अपने एजेंटों के माध्यम से संलग्न हो सकती है। इस प्रयोजन हेतु, एयरलाइन को अपने स्वयं के परिवहन दस्तावेजों का उपयोग करने का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसे परिवहन तथा उसके आनुषंगिक उत्पादों, सेवाओं एवं सुविधाओं को उस राज्यक्षेत्र की मुद्रा में अथवा स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(नों) को वायु परिवहन तथा अन्य आनुषंगिक उत्पादों, सेवाओं एवं सुविधाओं के विक्रय के संबंध में ऐसी एयरलाइनों द्वारा अर्जित, स्थानीय रूप से संवितरित राशियों से अधिक स्थानीय राजस्व को, साथ ही ऐसे राजस्व पर अर्जित ब्याज को (जिसमें अंतरण की प्रतीक्षा में जमाराशियों पर अर्जित ब्याज सम्मिलित है), किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में माँग पर स्वतंत्र रूप से परिवर्तित एवं अंतरित करने का अधिकार होगा। परिवर्तन तथा विप्रेषण उस विनिमय दर पर, जो एयरलाइन द्वारा विप्रेषण हेतु प्रारंभिक आवेदन किए जाने की तिथि को चालू संव्यवहारों एवं विप्रेषण पर लागू हो, बिना किसी निर्बंधन अथवा उस पर कराधान के तत्परता से अनुज्ञात किया जाएगा।

5. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(नों) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ईंधन के क्रय सहित स्थानीय व्ययों का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने की अनुमति होगी। अपने विवेकानुसार, प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(नें) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ऐसे व्ययों का भुगतान दूसरे पक्षकार के राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में कर सकती हैं।

6. इस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अनुच्छेद के अध्यधीन अधिकारों का प्रयोग इस करार के प्रयोजनों के अनुरूप लागू घरेलू नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जाएगा। यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों द्वारा स्थानीय रूप से संवितरित राशियों से अधिक स्थानीय राजस्व के अंतरण पर निर्बंधन अधिरोपित करता है, तो बाद वाले पक्षकार को प्रथम पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों पर पारस्परिक निर्बंधन अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 12

सहकारी विपणन व्यवस्थाएँ

1. प्रत्येक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नें) सहकारी विपणन व्यवस्थाओं, जैसे कोड-शेयर, ब्लॉक स्पेस अथवा किसी अन्य संयुक्त उद्यम व्यवस्था में, निम्नलिखित के साथ प्रवेश कर सकती हैं:

    (क) उसी पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) के साथ; अथवा

    (ख) दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) के साथ; अथवा

    (ग) किसी तीसरे देश की अभिहित एयरलाइन(नों) के साथ।

2. सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में संलग्न प्रचालक एयरलाइन(नें) अंतर्निहित यातायात अधिकार धारण करेंगी, जिनमें मार्ग अधिकार तथा क्षमता हकदारियाँ सम्मिलित हैं, तथा ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

3. सहकारी व्यवस्थाओं में संलग्न सभी विपणन एयरलाइन(नें) अंतर्निहित मार्ग अधिकार धारण करेंगी तथा ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

4. ऐसी व्यवस्थाओं के अध्यधीन निष्पादित वायु सेवाओं द्वारा प्रचालित कुल क्षमता केवल प्रचालक एयरलाइन(नों) को अभिहित करने वाले पक्षकार की क्षमता हकदारी के विरुद्ध ही गिनी जाएगी। ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन(नों) द्वारा प्रस्तुत क्षमता उस एयरलाइन को अभिहित करने वाले पक्षकार की क्षमता हकदारी के विरुद्ध नहीं गिनी जाएगी।

5. किसी भी पक्ष की अभिहित एयरलाइन(नों) को कोड-शेयर प्रचालनों में लगे विमानों के बीच यातायात (अर्थात् स्टारबर्स्ट) अंतरित करने की अनुमति होगी, बिना विमान की संख्या, आकार तथा प्रकार के संबंध में किसी निर्बंधन के।

6. प्रचालक एयरलाइन(नों) के अतिरिक्त, प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी विपणन एयरलाइन(नों) से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे अनुमोदन हेतु समय-सारणियाँ फाइल करें तथा सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अध्यधीन वायु सेवाओं के प्रारंभ से पूर्व कोई भी अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएँ।

7. ऐसी व्यवस्थाओं के अध्यधीन विक्रय हेतु सेवाएँ प्रस्तुत करते समय, संबंधित एयरलाइन अथवा उसका एजेंट विक्रय के स्थान पर क्रेता को यह स्पष्ट कर देगा कि सेवा के प्रत्येक सेक्टर पर कौन-सी एयरलाइन प्रचालक एयरलाइन होगी तथा क्रेता किस एयरलाइन(नों) के साथ संविदात्मक संबंध में प्रवेश कर रहा है।

8. कोड शेयरिंग सेवाएँ प्रदान करने से पूर्व, कोड शेयरिंग भागीदार इस बात पर सहमत होंगे कि सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा-प्रदायन, दायित्व तथा उपभोक्ता से संबंधित अन्य विषयों के लिए कौन-सा पक्ष उत्तरदायी होगा। ऐसा करार कोड-शेयर व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन से पूर्व दोनों पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास फाइल किया जाएगा।

अनुच्छेद 13

अंतर्मोडल सेवाएँ

प्रत्येक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) को यह अनुमति होगी कि वे यात्रियों तथा कार्गो के वायु परिवहन के संबंध में, दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किसी भी स्थान को अथवा वहाँ से, किसी भी अंतर्मोडल परिवहन का उपयोग करें। ऐसी एयरलाइन(नें) अपना स्वयं का अंतर्मोडल परिवहन करने का चयन कर सकती हैं अथवा इसे अन्य वाहकों के साथ व्यवस्थाओं, जिनमें कोड-शेयर सम्मिलित है, के माध्यम से उपलब्ध कराने का चयन कर सकती हैं। अंतर्मोडल सेवाएँ वायु एवं अंतर्मोडल परिवहन को मिलाकर थ्रू सेवा के रूप में तथा एकल कीमत पर प्रस्तुत की जा सकती हैं, बशर्ते कि यात्रियों तथा प्रेषकों को ऐसे परिवहन के प्रदाताओं के बारे में सूचित किया जाए।

अनुच्छेद 14

समय-सारणियों का अनुमोदन

1. प्रत्येक पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे सहमत सेवाओं के प्रारंभ से कम से कम 30 दिन पूर्व, उनके विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु, ऐसी उड़ान समय-सारणियाँ फाइल करें जिनमें सेवा के प्रकार तथा उसकी आवृत्ति, प्रयोग किए जाने वाले विमान के प्रकार तथा प्रत्येक स्थान पर उड़ान के समय से संबंधित सूचना अंतर्विष्ट हो। ऐसी ही सूचना प्रत्येक आईएटीए (IATA) यातायात मौसम के लिए भी कम से कम 30 दिन पूर्व तथा जब भी सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाना हो, तब भी उपलब्ध कराई जाएगी।

2. प्रत्येक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नें) ऐसी कोई भी अन्य सूचना भी प्रस्तुत करेंगी जो दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को यह समाधान कराने हेतु अपेक्षित हो कि इस करार की अपेक्षाओं का सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद 15
सांख्यिकी का प्रावधान

1. प्रत्येक पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र को तथा उससे सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वहन किए गए यातायात से संबंधित सांख्यिकी उपलब्ध कराएँगे अथवा अपनी अभिहित एयरलाइन(नों) द्वारा उपलब्ध कराएँगे, जिसमें ऐसे यातायात के आरोहण एवं अवरोहण के स्थान दर्शाए जाएँगे। ऐसी सांख्यिकी प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, किंतु उस माह के, जिससे वे संबंधित हैं, पश्चात् 30 दिनों से अनधिक समय में प्रस्तुत की जाएगी।

2. प्रत्येक पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी, अनुरोध किए जाने पर, दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र को तथा उससे वहन किए गए यातायात के वास्तविक उद्गम एवं गंतव्य से संबंधित सांख्यिकी उपलब्ध कराएँगे अथवा अपनी अभिहित एयरलाइन(नों) द्वारा उपलब्ध कराएँगे।

अनुच्छेद 16
टैरिफ

1. प्रत्येक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) द्वारा प्रचालित सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफ प्रत्येक अभिहित एयरलाइन द्वारा बाज़ार में उसके वाणिज्यिक विचारों के आधार पर युक्तियुक्त स्तरों पर स्थापित किए जाएँगे, जिसमें प्रचालन की लागत तथा युक्तियुक्त लाभ सहित सभी सुसंगत कारकों पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा।

2. पैराग्राफ (1) के अध्यधीन स्थापित टैरिफों को एक पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) द्वारा दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास फाइल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

3. पूर्वगामी के होते हुए भी, प्रत्येक पक्षकार को निम्नलिखित हेतु हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा:

   (क) ऐसे टैरिफों को रोकना जिनका अनुप्रयोग प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण गठित करता है तथा जिसका प्रभाव किसी प्रतिस्पर्धी को अपंग बनाना या किसी प्रतिस्पर्धी को किसी मार्ग से बाहर करना है, होने की संभावना है, अथवा अभिप्रेत है;

   (ख) उपभोक्ताओं को ऐसे टैरिफों से संरक्षित करना जो प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग के कारण अत्यधिक अथवा निर्बंधनकारी हों; तथा

   (ग) एयरलाइनों को ऐसे टैरिफों से संरक्षित करना जो परभक्षी (predatory) अथवा कृत्रिम रूप से निम्न हों।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) में उपबंधित प्रयोजनों हेतु, एक पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइनों से टैरिफों के निर्धारण से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकते हैं।

5. यदि एक पक्षकार यह मानता है कि दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) द्वारा प्रभारित टैरिफ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) में उपबंधित विचारों के साथ असंगत है, तो वह दूसरे पक्षकार को अपने असंतोष

के कारणों की सूचना यथाशीघ्र देगा तथा परामर्श का अनुरोध करेगा, जो अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के पश्चात् से अनधिक समय में आयोजित किए जाएँगे। यदि पक्षकार उस टैरिफ के संबंध में, जिसके विषय में असंतोष की सूचना दी गई है, किसी करार पर पहुँचते हैं, तो प्रत्येक पक्षकार उस करार को प्रभावी बनाने हेतु अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगा। ऐसे करार के अभाव में, पूर्व में विद्यमान टैरिफ प्रभावी बना रहेगा।

अनुच्छेद 17
बहुपक्षीय करार

1. इस करार के कार्यान्वयन में, पक्षकार कन्वेंशन के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे, जहाँ तक वे उपबंध अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं पर लागू होते हैं।

2. यदि इस करार के प्रवृत्त होने के पश्चात् दोनों पक्षकार किसी ऐसे बहुपक्षीय करार के पक्षकार बनते हैं जो इस करार द्वारा आच्छादित विषयों को संबोधित करता है, तो कोई भी पक्षकार यह अवधारित करने हेतु परामर्श का अनुरोध कर सकता है कि क्या उस बहुपक्षीय करार को ध्यान में रखते हुए इस करार को संशोधित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 18
परामर्श

1. कोई भी पक्षकार, किसी भी समय, इस करार के निर्वचन, अनुप्रयोग, कार्यान्वयन अथवा संशोधन या इस करार के अनुपालन के संबंध में परामर्श हेतु लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।

2. जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, ऐसे परामर्श उस तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभ होंगे जिस तिथि को दूसरे पक्षकार को अनुरोध प्राप्त होता है।

अनुच्छेद 19
संशोधन

1. इस करार को पक्षकारों के लिखित करार द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

2. इस प्रकार सहमत कोई भी संशोधन इस करार के अनुच्छेद 23 के उपबंधों के अनुसार प्रवृत्त होगा।

3. पैराग्राफ (2) के होते हुए भी, पक्षकार इस करार के अनुबंध में किसी संशोधन को तत्काल प्रभाव देने पर सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 20
विवादों का निपटारा

1. इस करार के अध्यधीन उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जो औपचारिक परामर्शों द्वारा हल नहीं होता, पक्षकारों की सहमति से किसी व्यक्ति या निकाय को विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया जा सकता है। यदि पक्षकार

ऐसी सहमति नहीं देते, तो विवाद, किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, नीचे उपबंधित प्रक्रियाओं के अनुसार माध्यस्थम् को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. माध्यस्थम् तीन मध्यस्थों के अधिकरण द्वारा किया जाएगा, जो निम्नानुसार गठित किया जाएगा:—

(क) माध्यस्थम् हेतु अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नामनिर्दिष्ट करेगा। इन दोनों मध्यस्थों के नामनिर्दिष्ट होने के 60 दिनों के भीतर, वे सहमति द्वारा तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो मध्यस्थ अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा;

(ख) यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ नामनिर्दिष्ट करने में असफल रहता है, अथवा यदि तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति इस पैराग्राफ के खंड (क) के अनुसार नहीं की जाती, तो कोई भी पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद् के अध्यक्ष से 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद् का अध्यक्ष पक्षकारों में से किसी एक की ही राष्ट्रीयता का हो, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष, जो उस आधार पर निरर्हित न हो, नियुक्ति करेगा। इस पैराग्राफ के अध्यधीन अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम अर्हित उपाध्यक्ष द्वारा तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने की दशा में, वह तीसरा मध्यस्थ किसी भी पक्षकार का नागरिक नहीं होगा।

3. जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, मध्यस्थ अधिकरण इस करार के अनुसार अपनी अधिकारिता की सीमाएँ अवधारित करेगा तथा अपनी स्वयं की प्रक्रिया के नियम स्थापित करेगा। अधिकरण, एक बार गठित हो जाने पर, अपने अंतिम निर्धारण तक अंतरिम अनुतोष उपायों की अनुशंसा कर सकता है। अधिकरण के निदेश पर अथवा किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, माध्यस्थम् किए जाने वाले यथार्थ मुद्दों तथा अनुसरण की जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं को अवधारित करने हेतु एक सम्मेलन अधिकरण के पूर्णतः गठित होने के 15 दिनों के पश्चात् से अनधिक समय में आयोजित किया जाएगा।

4. जब तक कि अन्यथा सहमति न हो अथवा अधिकरण द्वारा निदेशित न किया जाए, प्रत्येक पक्षकार अधिकरण के पूर्णतः गठित होने के समय से 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिन पश्चात् देय होंगे। अधिकरण किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तर देय होने के 15 दिनों के भीतर सुनवाई करेगा।

5. अधिकरण सुनवाई की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हो, तो दोनों उत्तर प्रस्तुत किए जाने की तिथि के पश्चात् 30 दिनों के भीतर लिखित विनिश्चय देने का प्रयास करेगा। अधिकरण के बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

6. कोई भी पक्षकार विनिश्चय दिए जाने के 15 दिनों के भीतर उस पर स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध कर सकता है तथा ऐसे अनुरोध के 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।

7. प्रत्येक पक्षकार, अपनी राष्ट्रीय विधि के अनुरूप सीमा तक, मध्यस्थ अधिकरण के किसी भी विनिश्चय अथवा पंचाट को पूर्ण प्रभाव देगा।

8. मध्यस्थ अधिकरण के व्यय, जिनमें मध्यस्थों की फीस एवं व्यय सम्मिलित हैं, पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएँगे। इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (ख) में उपबंधित प्रक्रिया के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उपगत कोई भी व्यय मध्यस्थ अधिकरण के व्ययों का भाग माना जाएगा।

अनुच्छेद 21
समाप्ति

कोई भी पक्षकार, किसी भी समय, दूसरे पक्षकार को इस करार को समाप्त करने के अपने विनिश्चय की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना साथ-ही-साथ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजी जाएगी। यह करार सूचना की प्राप्ति के स्थान पर, दूसरे पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त करने की तिथि की प्रथम वर्षगाँठ से ठीक पूर्व मध्यरात्रि को समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व पक्षकारों की सहमति से सूचना वापस न ले ली जाए। दूसरे पक्षकार द्वारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति के अभाव में, सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने के चौदह दिन पश्चात् प्राप्त हुई मानी जाएगी।

अनुच्छेद 22
आईसीएओ (ICAO) के पास पंजीकरण

यह करार तथा इसमें किए गए सभी संशोधन, हस्ताक्षर होने पर, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत किए जाएँगे।

अनुच्छेद 23
प्रवृत्त होना

यह करार पक्षकारों के बीच राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान में बाद वाले नोट की तिथि को प्रवृत्त होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्रत्येक पक्षकार ने इस करार तथा इसके अनुबंध के प्रवृत्त होने हेतु आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएँ पूरी कर ली हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत होकर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

निष्पादित हरारे में, इस **उन्नीसवें दिन जून, 2014** को, दो प्रतियों में, अंग्रेज़ी भाषा में।

जिम्बाब्वे गणराज्य की सरकार की ओर से	भारत गणराज्य की सरकार की ओर से
माननीय डॉ. ओबर्ट एम. म्पोफु (सांसद) परिवहन एवं आधारभूत संरचना विकास मंत्री	महामहिम श्री जीतेंद्र कुमार त्रिपाठी जिम्बाब्वे में भारत गणराज्य के राजदूत

अनुबंध

मार्ग अनुसूची

खंड 1

भारत गणराज्य की सरकार द्वारा अभिहित एयरलाइनों के लिए मार्ग:

उद्गम स्थान	मध्यवर्ती स्थान	जिम्बाब्वे में स्थान	उससे आगे के स्थान
भारत में स्थान	कोई भी स्थान (खाड़ी क्षेत्र में स्थानों को छोड़कर)	हरारे तथा विनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक अन्य स्थान	सहमति के अनुसार

खंड 2

जिम्बाब्वे गणराज्य की सरकार द्वारा अभिहित एयरलाइनों के लिए मार्ग:

उद्गम स्थान	मध्यवर्ती स्थान	भारत में स्थान	उससे आगे के स्थान
जिम्बाब्वे में स्थान	कोई भी स्थान (खाड़ी क्षेत्र में स्थानों को छोड़कर)	मुंबई तथा दिल्ली	सहमति के अनुसार

खंड 3

1. खंड 1 तथा खंड 2 में उल्लिखित स्थानों को आवश्यक रूप से उसी क्रम में सेवित किया जाना अनिवार्य नहीं है जिस क्रम में उनका नाम दिया गया है।

2. विनिर्दिष्ट मार्गों पर मध्यवर्ती तथा उससे आगे के स्थानों को अभिहित एयरलाइन(नों) के विकल्प पर किसी भी अथवा सभी उड़ानों में छोड़ा जा सकता है।

3. खंड 1 तथा खंड 2 में विनिर्दिष्ट न किए गए मध्यवर्ती अथवा उससे आगे के स्थानों को सेवित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे स्थानों तथा दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किसी भी स्थान के बीच पाँचवीं (5वीं) स्वतंत्रता के यातायात अधिकारों का प्रयोग न किया जाए।

4. एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में दो या अधिक स्थानों को दूसरे पक्षकार की अभिहित एयरलाइन(नों) द्वारा एक ही उड़ान में सेवित नहीं किया जाएगा।